

कार्यालय आदेश

आर.एन.सी. जयपुर द्वारा दिनांक 17.10.2022 को आयोजित जी.बी.मिंटिंग के एजेण्डा संख्या 07 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय की पालना में निम्नांकित निर्देश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं :-

1. पूर्व में जारी रजिस्टर्ड नर्स व रजिस्टर्ड मिडवाइफरी प्रमाण पत्रों को समेकित कर वर्तमान की भांति ही नवीनीकरण/रिन्युवल सर्टिफिकेट जारी कर समेकित मोहर अंकित की जाएगी।
2. इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी को आर.एन.सी. कार्यालय में सहमति पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड नर्स व रजिस्टर्ड मिडवाइफरी सर्टिफिकेट में नवीनीकरण दिनांक अलग अलग होने की स्थिति में दोनों सर्टिफिकेट का नवीनीकरण दिनांक समान किए जाएंगे, जो कि रजिस्टर्ड नर्स सर्टिफिकेट में अंकित तिथी होगी।
4. भविष्य में उक्त अभ्यर्थियों को वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप नवीनीकरण आवेदन करना होगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


-sd-
(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक :- आर.एन.सी / 2023 / रजि. / 13408

दिनांक :- 11/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान निदेशक महोदय (जन.स्वा0) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
2. सर्वर रूम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
3. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर